

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि Magadh College of Education
Dubhai Bodh Gaya, Gaya प्रधानाचार्य/संचालक के द्वारा
दिये गये आवेदन के आलोक में स्कूल/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/निजी शिक्षण संस्थान में
लगाए गए अग्नि सुरक्षा हेतु अग्निशामक यंत्रों को जाँच किया गया। जाँच के क्रम में पोर्टेबल
अग्निशमन यंत्र क्रियाशील अवस्था में सही पाया गया। पत्र निर्गत कि तिथि से एक वर्ष के लिए
अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।


अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत कि जाती है कि प्रधानाचार्य/संचालक:--

1. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों को अपने स्कूल भवन में रखेंगे तथा इसका संधारण IS: 2190/1997 के अनुरूप रखेंगे। संधारण कि कमी के कारण यंत्रों में आनेवाली खराबी की जिम्मेवारी व्यवस्थापक पर होगी।
2. नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट IV के अनुरूप निकास द्वारा एवं अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
3. सही शिक्षक एवं कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रों के संचालन विधि मॉकड्रील के माध्यम से अवगत कराएंगे जिससे आग कि उत्पत्ति के प्रथम अवस्था में शमन किया जा सके।
4. वर्ष में एक बार अग्निशाम कार्यालय से अग्निशमन यंत्रों का जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. आग लगने पर मोबाईल नं०- 7485805966, 7485805967, 9608695880 के नम्बर पर डायल करेंगे।


20/09/2021
अग्निशामालय पदाधिकारी
FIRE STATION OFFICER
बोधगया
BODHGAYA

ज्ञापांक: 245 / दिनांक 20/09/2021
कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी बोधगया

प्रतिलिपि :- Magadh College of Education
Dubhai Bodh Gaya, Gaya

विश्वासभाजन

20/9/2021
FIRE STATION OFFICER
BODHGAYA